APP - A
Orim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मलसीसर

रिड़मल बनाम ओरण्जरा

किस्म मुकदमा 251 A नं. 65 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/10/21	पत्रावली आज दिनांक 20.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 के तहत ग्राम पंचायत ढीलसर में आयोजित कैम्प के दौरान प्रस्तुत हुई। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी रिड़मल पुत्र खमाराम जाति जाट निवासी ढीलसर के खेत खसरा नम्बर 303, 304 व 305 में जाने के लिए खेत खसरा नम्बर 306 व 308 में रास्ता चाहा गया है। जबकि प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिए खसर नम्बर 275 किस्म गै0मु0 जोहड़ से रास्ते का उपयोग करता रहा है। जिसमें आने–जाने में किसी प्रकार की कोई रूकावट नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य निम्नानुसार है :– यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 303, 304 व 305 में आने जाने व काश्त करने के लिये भूमि खेत खसरा नम्बर 308 में से रास्ता चाहा गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्राप्त रिपोर्ट व उपलब्ध दस्तावेजों का मनन किया। प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार खेत खसरा नम्बर 306 व 308 से मौके पर आने जाने हेतु कभी उपयोग नहीं लिया गया। मौका रिपोर्ट दिनांक 29.1.2021 के अनुसार प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिए खसर नम्बर 275 किस्म गै0मु0 जोहड़ से रास्ते का उपयोग करता रहा है। जिसमें आने–जाने में किसी प्रकार की कोई रूकावट नहीं है। जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251क के प्रावधानों का दुरूपयोग कर काश्तकारों को परेशान करने की नियत से चाहा गया है जबकि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 303, 304 व 305 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 275 गै0मु0 जोहड़ से रास्ता उपलब्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. **अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–**

तौ आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर ऐ नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जोहड़ भूमि से रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद रास्ता चाहा गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। निर्णय मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद मुतकिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर